



प्रेस नोट

दिनांक 05.08.2019 थाना न्यूआगरा जनपद आगरा।

थाना न्यूआगरा पुलिस टीम ने चैकिंग अभियान के दौरान मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/चोर/लुटेरों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी न्यूआगरा को टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.05.2019 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अभियान के क्रम में मुखविर की सूचना पर एक मोटर साइकिल चोर कम्पो उर्फ कम्पोटर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी पायलेन का पुरा थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल नम्बर यू0पी0 80 सीके 7479 हीरो होण्डा साइन, थाना न्यूआगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 540/2019 धारा 379 भा.द.वि. से सम्बंधित बरामद हुई।

● गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. कम्पो उर्फ कम्पोटर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी पायलेन का पुरा थाना कोतवाली जनपद धौलपुर राजस्थान।

● बरामदगी का विवरण :-

01. एक अदद मोटर साइकिल नम्बर यू0पी0 80 सीके 7479 हीरो होण्डा साइन।

● गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
01.	288/2016	धारा 457/380 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
02.	247/2017	धारा 323/341/504/34 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
03.	122/2016	धारा 457/380 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
04.	94/2016	धारा 143/149/379/332/353 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
05.	185/2016	धारा 380 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
06.	420/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
07.	10/2018	धारा 143/353/336/379/427 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
08.	18/2019	धारा 457/380 भा.द.वि.	कोतवाली / धौलपुर राजस्थान
09.	540/2019	धारा 379/411 भा.द.वि.	न्यूआगरा / आगरा



वाहन-कोम्पौ S/जवाबदाथि
अ.सं-540/19
धारा 379/411 PC

थाना न्यूआगरा पुलिस टीम ने चैकिंग अभियान के दौरान अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाली अभियुक्ता को किया गिरफ्तार

इसी क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 05.08.2019 को चैकिंग अभियान के दौरान मुखविर की सूचना पर एक अभियुक्ता कमला पत्नी कादरा निवासी नगर फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त के कब्जे से 38 पुड़िया अवैध गांजा (197 ग्राम) बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह गली-गली में गांजा बेचकर अवैध धन अर्जित करती है। उक्त बरामदी के सम्बंध में थाना न्यूआगरा पर मु0अ0सं0 546/2019 धारा 18/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम गिरफ्तार अभियुक्ता पंजीकृत किया गया।

● गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण :-

01. कमला पत्नी कादरा निवासी नगर फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।

● बरामदगी का विवरण :-

01. 38 पुड़िया अवैध गांजा बरामद।

● गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास :-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
01.	546/2019	धारा 18/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट	न्यूआगरा / आगरा

